रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248729 CG-DL-E-14092023-248729

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] No. 527] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2023

सं. 54/2023-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 668(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

- उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -
- (i) क्रम संख्या 597 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :"बशर्ते कि मद (ii) और (iv) 30 सितंबर, 2023 के बाद प्रभावी नहीं होगी। बशर्ते कि आगे मद (i), (iii) और (v) 30 सितंबर 2025 के बाद प्रभावी नहीं होगी।";
- (ii) क्रम संख्या 598 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2023" के स्थान पर, अंक, "2025" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

5872 GI/2023 (1)

- (iii) क्रम संख्या 600 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2023" के स्थान पर, अंक, "2025" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 601 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2023" के स्थान पर, अंक, "2025" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 602 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2023" के स्थान पर, अंक, "2025" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 603 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2023" के स्थान पर, अंक, "2025" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190352/01/2023-टीआरय]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 53/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 5 सितम्बर, 2023, जिसे सा.का.िन. 656 (अ), दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2023

No. 54/2023-Customs

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 597, in column (3), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely: -
 - "Provided that items (ii) and (iv) shall cease to have effect after 30th September, 2023.

Provided further that items (i), (iii) and (v) shall cease to have effect after 30th September 2025.";

- (ii) against S. No. 598, in column (3), for the figure, "2023", the figure, "2025" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 600, in column (3), for the figure, "2023", the figure, "2025" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 601, in column (3), for the figure, "2023", the figure, "2025" shall be substituted;
- (v) against S. No. 602, in column (3), for the figure, "2023", the figure, "2025" shall be substituted;
- (vi) against S. No. 603, in column (3), for the figure, "2023", the figure, "2025" shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No.190352/01/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 53/2023-Customs, dated the 5th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 656(E), dated the 5th September, 2023.